न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 95/2021
योगेश कुमार कृष्णिया, वरिष्ठ सहायक (निलम्बित), पता जी–272, न्यू कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी आवास, परमवीर पीरूसिंह स्कूल के पीछे, झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर (निर्वाचन) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 08.07.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.06.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 95/2021 पर दिनांक 21.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1734–35 दिनांक 21.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 37 (7)(8)विविध/चुनाव/2011/569 दिनांक 30.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी योगेश कुमार कृष्णिया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.03.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो इस कार्यालय मे दिनांक 05.04.2021 को प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन पत्र मे वर्णित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 441 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत आपको हस्तान्तरित किया जाकर आवेदक योगेश कुमार कृष्णिया को नियमानुसार सीधे ही सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु आप द्वारा आवेदक को निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक आवेदक योगेश कुमार कृष्णिया को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने की निर्धारित समयावधि मे सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने के कारण आवेदक योगेश कुमार कृष्णिया द्वारा दिनांक 17.06.2021 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के यहां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.07.2021 नियत है। अतः अब आप व्यक्तिगत ध्यान देकर आवेदक योगेश कुमार कृष्णिया को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 19.03.2021 को किये गये आवेदन मे वर्णित वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाई गई है अथवा नही की सूचना मय अपील जबाब दिनांक 08.07.2021 से पूर्व माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं मे प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे तथा प्रति इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

10

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।

6. लो0सू0अ0 (अति0 जिला कलक्टर, निर्वाचन) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 37 (7)(8)विविध/चुनाव/2011/569 दिनांक 30.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी योगेश कुमार कृष्णिया द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 19.03.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो उनके कार्यालय मे दिनांक 05.04.2021 को प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन पत्र मे वर्णित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय के समसंख्यक पत्र कमांक 441 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को हस्तान्तरित किया जाकर आवेदक योगेश कुमार कृष्णिया को नियमानुसार सीधे ही सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु उनके द्वारा आवेदक को निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक आवेदक योगेश कुमार कृष्णिया को सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने की निर्धारित समयावधि मे सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने के कारण आवेदक योगेश कुमार कृष्णिया द्वारा दिनांक 17.06.2021 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं के यहां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.07.2021 नियत है। आवेदक योगेश कुमार कृष्णिया को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 19.03.2021 को किये गये आवेदन मे वर्णित वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाई गई है अथवा नही की सूचना मय अपील जबाब दिनांक 08.07.2021 से पूर्व माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं मे प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे तथा प्रति उनके कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना अभी तक प्राप्त नही हुई है। **अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं अपीलार्थी को 7 दिवस मे निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा साथ ही सूचना उपलब्ध करवाकर पालना से इस न्यायालय को दिनांक 15.07.2021 से पूर्व अवगत करावें।**

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं